मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

# फर्द अहकाम

(नियम (26))

ज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम .....

रम मुकदमा ..... मु० नं० .....

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14 | पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया की प्रकरण का निस्तारण तहसिल कार्यालय सिकराय द्वारा कर दिया गया है। अतः इस स्थिति में प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः दावा दुरुस्ती इस्तगासा धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 14/5/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा | 17 सोमोल्या मगवाया मलखान दाबूलाल निगरानी निगरानी नीमली प्रकरण में तहसील स्तर से कोई हीलहवाला नहीं पाया जावे। 14/5/19 |